कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ।

पत्रांकः बेसिक / उ0प्रा0वि0 मान्यता / 1473 / 2018–19 दिनांक 10 / 05 / 2019

प्रबन्धक,
टिथोनस इण्टरनेशनल स्कूल मथुरा रोड, बदायूँ
वि0क्षे0 उझानी (बदायूँ)

आपके आवेदन दिनॉक 26.04.2019 द्वारा अपने विद्यालय टिथोनस इण्टरनेशनल स्कूल, मथुरा रोड, बदायूँ जिसे इस कार्यालय के पत्रांकः शि0स0 / 12064–68 / 2013–14 दिनॉक 07.12.2013 द्वारा नर्सरी से कक्षा–08 तक की अंग्रेजी माध्यम से दिनॉक 01.07.2013 से 30.06.2016 तक अस्थाई मान्यता प्रदान की गयी थी, को स्थाई मान्यता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

शासनादेश सं0: 419 / 79–6–2013–18(20) / 91 शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनॉक 08.05.2013 के बिन्दु सं0–15 "*प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता 03 वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लघंन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है, तो 03 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है।*" अतः आपके विद्यालय के विरूद्ध 03 वर्ष में किसी प्रतिकूल तथ्य के संज्ञानित न होने सम्बन्धी प्रस्तुत शपथ पत्र एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी, उझानी की आख्या के आधार पर शासन / विभाग द्वारा विद्यालयों को मान्यता के सम्बन्ध में लिये जाने वाले अग्रिम निर्णयों के अधीन शासनादेश दिनॉक 08.05.2013 के बिन्दु सं0–15 के अन्तर्गत मान्यता मान्य रहेगी।

(रामपाल सिंह राजपूत)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ।